संख्या-132/2025/1002/सैंतीस-2-2025-1(15)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 जुलाई, 2025

विषयः- **अनुदान संख्या-15 के अधीन जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना के संचालन हेतु निर्गत गाइडलाइन्स में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-46/प0-1/9ख/जमुनापारी बकरी योजना/2025-26, दिनांक-10.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-15 के अधीन जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-125/2024/1385/सैंतीस-2-2024/1(15)/2023, दिनांक-25.07.2024 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स को सम्यक विचारोपरान्त आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

शीर्षक	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
चयन की प्रक्रिया	योजना के संचालन हेतु अनुभवी वस्तु विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अधिकारियों की आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं।	लघु पशु की योजनाओं से सम्बन्धित विभागीय अपर निदेशक ग्रेड-2 (लघु पशु) मुख्यालय एवं संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा के माध्यम से ही उक्त योजना का संचालन कराया जायेगा।
अनावर्ती कार्य	बजट की उपलब्धता के अनुसार केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, फरह मथुरा प्रक्षेत्र पर भी 02 बकरी शेड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	बजट की उपलब्धता के अनुसार भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा पर ही आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

2- शासनादेश दिनांक-25.07.2024 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-132/2025/1002(1)/सैंतीस-2-2025-1(15)/2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।